राज एक्सप्रेस
बुधवार, 9 सितम्बर 2026



## ब्रीफ न्यूज

### ज्वालामुखी विस्फोट से 3,000 उड़ानें प्रभावित, 3.40 लाख यात्री फंसे

**जकार्ता, आरएनएन।** इंडोनेशिया में अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी के विस्फोट से करीब 3,000 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डों के दूसरे दिन भी बंद रहने से करीब 3.40 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। ज्वालामुखी में शुक्रवार देर रात विस्फोट शुरू हुआ, जिसके बाद लावा के फव्वारे उठे और राख का गुबार जकार्ता तथा लाम्पुंग प्रांत तक पहुंच गया। जकार्ता के सोएकार्नो-हट्टा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सुबह खोलने की योजना थी, लेकिन हवाई क्षेत्र में ज्वालामुखीय राख मौजूद रहने के कारण इसे टाल दिया गया।

### ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई तकनीकी खराबी, 600 उड़ानें रद्द

**लंदन, आरएनएन।** ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते करीब 600 उड़ानें रद्द हो गईं, जबकि सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। राष्ट्रीय हवाई यातायात नियंत्रण सेवा ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों के प्रस्थान में बाधा आई। करीब दो घंटे बाद समस्या की पहचान कर उसका समाधान लागू कर दिया गया। एनएटीएस ने यात्रियों से अपनी एयरलाइन से उड़ान की ताजा जानकारी लेने की अपील की है।

### दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने नोएडा में किया सुसाइड

**नोएडा, आरएनएन।** दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने नोएडा में सुसाइड कर लिया। उनकी उम्र 75 साल थी। पूर्व आईएएस पत्नी सुमंती मेहता ने रविवार दोपहर उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इस पर उन्होंने सोसाइटी के गार्ड को फ्लैट पर भेजा। गार्ड अंदर पहुंचा तो उसे मेहता की लाश पंखे से लटकी मिली। राकेश मेहता सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहते थे। पुलिस को मौके से एक पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है। घटना के लिए उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

### नेपाल में आया 5.3 तीव्रता का भूकंप

**नई दिल्ली, आरएनएन।** नेपाल के मुस्तांग जिले में बुधवार रात 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र लोमन्थांग क्षेत्र में और गहराई करीब 35 किलोमीटर थी। झटके मुस्तांग, बागलुंग, धौलागिरि और तिब्बत के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। हालिया भीषण बाढ़ के बाद आए भूकंप से इलाके में चिंता बढ़ गई है।

### मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ अब एक और संघर्ष

# हूती ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों और एयरबेस को बनाया निशाना, 73 घायल

● रियाद / राज न्यूज नेटवर्क

यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में कई नागरिक और आर्थिक ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 73 लोग घायल हुए हैं। हमलों के बाद कई स्थानों पर आग लग गई और कुछ ऊर्जा प्रतिष्ठानों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ।

सऊदी नेतृत्व वाले यमन गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने बताया कि हूतियों ने अबहा, खमीस मुशैत, जिजान और नजरान में नागरिक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया। हूती पक्ष ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद एयरबेस तथा सरकारी तेल कंपनी अरामको के जिजान और अबहा स्थित प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।

### जेल पर हमले के बाद भड़की आग

हूती हमलों से कुछ समय पहले विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर उत्तरी यमन के जौफ प्रांत के अल-हज्म शहर में एक जेल पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया था। हूती अधिकारियों के मुताबिक, हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, जबकि कई लोग घायल हुए। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सऊदी अरब को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने इन आरोपों की तत्काल आधिकारिक पुष्टि नहीं की। यमन में 2014 से जारी गृहयुद्ध में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत देश के बड़े उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण कायम कर रखा है। वर्ष 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप किया था।

### दावा : ईरान ने अमेरिका की अत्याधुनिक पनडुब्बी पकड़ी

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ी समाचार एजेंसी फ़ार्स न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की एक अत्याधुनिक मानवरहित पनडुब्बी को पकड़ लिया है। एजेंसी के मुताबिक, इसे होर्मुज़ स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के पास पकड़ा गया। हालांकि, पनडुब्बी को कैसे और कब कब्जे में लिया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका ने अभी इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

### पटाया में आराम के बाद फिर मिशन मोड में अब्राहम लिंकन

अमेरिकी नौसेना का निमित्ज-क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 6 सितंबर को थाईलैंड से रवाना हो गया। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप-3 का यह प्रमुख युद्धपोत करीब 5,000 नौसैनिकों और मरीन के साथ पटाया और श्री राचा की पोर्ट विजिट पर पहुंचा था। अब अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी 7वें फ्लीट के ऑपरेशनल क्षेत्र में लौट गया है।

### सिर्फ अमेरिका के भरोसे न रहें...

## कतर ने खाड़ी देशों को दी चेतावनी

**दोहा, आरएनएन।** ईरान के साथ तनाव के बीच कतर ने खाड़ी देशों से अपनी सुरक्षा क्षमता मजबूत करने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सैन्य मौजूदगी अहम है, लेकिन केवल सहयोगियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही ईरान के साथ रिश्तों में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत ही स्थायी समाधान का रास्ता है। अल-अंसारी ने होर्मुज स्ट्रेट को भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि लंबे समय तक इसके बाधित रहने का जोखिम दुनिया नहीं उठा सकती।

## आतंकी साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी समेत 7 विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट, यूएपीए की धारा हटाई, 180 दिन पहले पकड़ा था

**नई दिल्ली, आरएनएन।** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी साजिश और उग्रवाद से जुड़े आरोपों में एक अमेरिकी समेत सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि, चार्जशीट में यूएपीए की धारा 18 हटा दी गई है और आरोपियों पर अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 लगाई गई हैं। आरोपियों को करीब 180 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील के मुताबिक, इतने लंबे समय की जांच के बावजूद एनआईए को यूएपीए के तहत अपराध नहीं मिला। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि यूपीपीए एंगल से जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।


## कार्यालय कार्यपालन यंत्री नया वि/यां संभाग राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल

क्र. 36/एस.ए.सी/2026-27 भोपाल दिनांक 07/09/26

### निविदा आमंत्रण

कार्यालय कार्यपालन यंत्री नया वि/यां संभाग राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल, अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना मण्डल राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल, कार्यपालन यंत्री निर्माण संभाग क्रं. 1, 2 एवं भवन नियंत्रक राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु निर्माण कार्यो के निरीक्षण जाँच एवं कार्यालयीन शासकीय कार्य हेतु नियमानुसार पंजीकृत फर्मो/सेवा प्रदाताओं से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे मे रजिस्टर्ड वातानुकूलित वाहन, मासिक दर के आधार पर किराए से लिये जाने हेतु ऑनलाईन निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण में समस्त दरें वाहन किराया में ईंधन रहित तथा चालक का वेतन मय ई. पी.एफ. वाहन का संधारण एवं अन्य समस्त शासकीय करों को सम्मिलित कर प्रत्येक श्रेणी हेतु पृथक-पृथक दरे निर्धारित सलग्न प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। विवरण निम्नानुसार है।-

| स. क्र. | वाहन का प्रकार | वाहन संख्या | कार्य की अनुमानित लागत (वार्षिक) रू. | निविदा प्रतिभूति राशि रू. | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू... ... में) | अनुबंध अवधि | वाहन मुख्यालय | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | इनोवा क्रिस्टा वाहन | 01 | 6053208.00 | 60532.00 | 10000/-(दस हजार मात्र) | अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक | भोपाल | कार्यालय की आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या एवं प्रकार (varient) में परिवर्तन किया जा सकेगा, किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। |
| 2 | स्कारपियो वाहन | 02 | | | | | | |
| 3 | महिन्द्रा बोलेरो / मारुती ब्रेजा/इंडिगो इ. सी.एस./स्विट डिजायर/अमेज | 15 | | | | | | |

1. सीमित निविदायें प्राप्त होने पर, समान न्यूनतम दर प्राप्त होने अथवा उचित दर वाली निविदा प्राप्त नहीं होने की दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित किया जाना अथवा आमंत्रित नहीं किये जाने सम्बन्धित समस्त अधिकार कार्यपालन यंत्री नया वि/यां संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगें।
2. वाहन पंजीयन एवं वाहन का टैक्सी कोटे में पंजीयन दि. 01/04/2025 या इसके पश्चात् का ही मान्य होगा।
3. अन्य निविदा शर्ते निविदा पत्र के साथ संलग्न होगी ।
4. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 11/09/2026 सांय 5.30 बजे से 25/09/2026 सांय 5.30 बजे तक निर्धारित है।

(मीनाक्षी सिंह बघेल)
कार्यपालन यंत्री
नया वि/यां संभाग
राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल
मोब. क्रं. 7869966403

G-18306/26

"स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता"


# तीन दिन की खामोशी के बाद कीव पर रूस का बड़ा हमला

### 166 ड्रोन और 32 मिसाइलें दागीं, 2 की मौत

● कीव / राज न्यूज नेटवर्क

तीन दिन की शांति के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूसी हमलों से दहल उठी। रूस ने रातभर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई।

यूक्रेनी एयरफोर्स के अनुसार, रूस ने रात के हमले में 166 ड्रोन और 32 क्रूज मिसाइलें दागीं। इसके अलावा बैलिस्टिक और एंटी-शिप मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने 142 ड्रोन, 31 क्रूज मिसाइल और दो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमले का सबसे ज्यादा असर कीव और ओडेसा में देखने को मिला। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, मिसाइल और ड्रोन 29 स्थानों पर गिरे। कीव में रिहायशी इमारतों समेत कई नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। जेलेंस्की ने राजधानी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाए जाने की बात कही।

### ट्रंप से बोले पुतिन

### यूरोप के खिलाफ कोई आक्रामक योजना नहीं

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब एक घंटे फोन पर बातचीत की। पुतिन ने भरोसा दिलाया कि रूस का यूरोपीय देशों के खिलाफ फिलहाल कोई आक्रामक इरादा नहीं है। बातचीत में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर भी चर्चा हुई।

### दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी

**नई दिल्ली, आरएनएन।** दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 8:39 बजे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश आया। ईमेल में विधानसभा परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम विधानसभा परिसर पहुंची और जांच-पड़ताल की।

### आज का इतिहास

- 1776: अमेरिकी महाद्वीपीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से देश का नाम यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनाया।
- 1791: अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी का नाम पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के सम्मान में रखा गया।
- 1850: कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना।
- 1948: कोरिया में उत्तर कोरिया ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना की घोषणा की।
- 1965: तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया।
- 1976: माओवादी नेता माओ त्से तुंग का निधन हुआ।
- 1991: ताजिकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- 1828: रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय का जन्म।
- 1890: अमेरिकी कर्नल और राजनेता कर्नल हारलैंड सैंडर्स का जन्म, जिन्होंने केएफसी की स्थापना की।
- 1920: भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का जन्म।

### ऑपरेशन सिंदूर : अब तक चौकियों की मरम्मत में जुटा है पाकिस्तान

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमलों से क्षतिग्रस्त हुई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और आतंकी ढांचे की मरम्मत अब भी जारी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान एलओसी के पास नए छोटे कैंप भी तैयार कर रहा है, जहां थर्मल सेंसर और एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि घने जंगलों में बनाए गए इन कैंपों का मकसद भारतीय निगरानी से बचना है। कई जगहों पर मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ ठिकानों पर अब भी नुकसान के निशान दिखाई दे रहे हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के साथ कई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। संघर्ष करीब 88 घंटे चला।


## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मंडल कार्यालय, भोपाल
अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन नं. 0755-2550020

### अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के द्वारा लिया गया है, को ''जहां है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:-

**ई नीलामी दिनांक : 24.09.2026** (ई-नीलामी का समय : प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
**ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 23.09.2026 रात्रि 11.00 बजे तक**

निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे।
मंडल कार्यालय, भोपाल | प्राधिकृत अधिकारी : श्री संदीप कुमार साहू | फोन नं. 0755-2550020/7000086955

| ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि | मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक / बकाया राशि |
|---|---|---|
| **श्री अमर सिंह सुनरे पुत्र श्री देव सिंह सुनरे** (सांकेतिक आधिपत्य) सम्पत्ति का समस्त भूभाग फ्लैट नं. एस-6, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 9, अब्दुल मुजीद काम्पलेक्स, मोहल्ला-कबीटपुरा, शाहजहानाबाद, भोपाल, क्षेत्रफल- 700 वर्ग फिट। सीमाएं- पूर्व: सीढ़ियां एवं फ्लैट नं. एस-10, पश्चिम: खुला भाग आसमान की और, उत्तर: फ्लैटनं. एस-07, दक्षिण: फ्लैटनं. एस-05, संपत्ति मालिक :- श्री अमर सिंह सुनरे पुत्र श्री देव सिंह सुनरे। | (₹) 5,69,000/- (₹) 56,900/- | 11-10-2017 29-12-2017 ₹ 2158355.00 + दिनांक 01.10.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| **श्रीमती पूजा सिंह पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह** (भौतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति फ्लैटनं. 4, प्लाटनं. 286, द्वितीय तल, सांई होम्स, मधुवन विहार कॉलोनी, ग्राम- भैरोपुर, खसरा नं. 53,54,55/1,56,58,38,67/3/3,66/3, पह नं. 42/25, राजस्व निरीक्षण मंड्ल-04, विकास खण्ड, फंदा, तहसील-हुजूर, जिला- भोपाल, क्षेत्रफल: 600 वर्ग फिट, सीमाऐं : पूर्व-प्लाटनं. 287, पश्चिम-प्लाटनं. 285, उत्तर-रोड, दक्षिण-फ्लैटनं. 5, संपत्ति मालिक- श्रीमती पूजा सिंह एवं श्री लक्ष्मण सिंह | (₹) 7,20,000/- (₹) 72,000/- | 25 07 2017 10-12-2019 ₹1607518.00 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| **श्रीमती बबीता जोशी पत्नि श्री भगवती प्रसाद** (सांकेतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति का समस्त भूभाग बंधक संपत्ति फ्लैट नं. टी-3, तृतीय तल, प्लॉट नं. 9, अब्दुल मुजीब काम्पलेक्स, कबीटपुरा मोहल्ला, शहजानाबाद, भोपाल। सीमाएं- पूर्व:फ्लैट नं. टी-2 एवं कोरिडोर, पश्चिम: खुला भाग आसमान की ओर, उत्तर: फ्लैट नं. टी-4, दक्षिण: खुला भाग आसमान की ओर। संपत्ति मालिक :- श्रीमति बबीता जोशी पत्नि श्री भगवती प्रसाद। | (₹) 6,65,000/- (₹) 66,500/- | 09-10-2017 28-08-2018 ₹2027268.00 + दिनांक 01.10.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च |
| **श्री दिनेश पाल पुत्र स्व. श्री लालाराम** (सांकेतिक आधिपत्य) संपत्ति का समस्त भू-भाग फ्लैट नं. एस-07, द्वितीय तल, प्लाट नं.09, पर स्थित, अब्दुल मुजीब काम्प्लेक्स, मोहल्ला-कबीट्पुरा, शहजानाबाद, भोपाल, क्षेत्रफल-55. 76 वर्ग मीटर, सीमाऐं : पूर्व- सिद्दकी साहब महबूब खान व इमरान खान का मकान, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर- फ्लैट नं. एस.-8, दक्षिण-फ्लैट नं. एस-6, संपत्ति मालिक- श्री दिनेश पाल पुत्र श्री लालाराम | (₹) 5,83,000/- (₹) 58,300/- | 09-10-2017 28-12-2017 ₹2031831.00 + दिनांक 01.10.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| **श्री सतीश गौर पुत्र श्री फूलचंद गौर** (सांकेतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति का समस्त भूभाग फ्लैट नं. एस-8, दूसरा तल, प्लॉट नं. 9, अब्दुल मुजीब काम्पलेक्स, कबीटपुरा मोहल्ला, शहजानाबाद, भोपाल। सीमाएं- पूर्व:कोरिडोर, पश्चिम: खुला भाग आसमान की और, उत्तर: फ्लैट नं. एस-9, दक्षिण: फ्लैट नं. एस-7, संपत्ति मालिक :- श्री सतीश गौर पुत्र श्री फूलचंद गौर | (₹) 6,32,000/- (₹) 63,200/- | 11-10-2017 16-11-2018 ₹ 2146066.00 + दिनांक 01.10.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| **श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री देवचंद सिंह** (सांकेतिक आधिपत्य) संपत्ति का समस्त भूभाग फ्लैटनं. एफआर-01, चतुर्थ तल, प्लाटनं. 9, अब्दुल मुजीब कॉम्पलेक्स वार्ड नं. 9, मोहल्ला -कबीट्पुरा, शहजानाबाद, भोपाल। क्षेत्रफल : 750 वर्ग फिट। सीमाऐं : पूर्व- खुला भाग, पश्चिम-कोरिडोर, उत्तर-आम सीढ़ियां, दक्षिण-फ्लैटनं. एफआर-2, संपत्ति मालिक : श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री देवचंद सिंह | (₹) 6,10,000/- (₹) 61,000/- | 09-10-2017 02-02-2018 ₹ 2134081.00 + दिनांक 01.10.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| **श्री अनूप गुप्ता पुत्र श्री अशोक गुप्ता एवं श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता पत्नि श्री अनूप गुप्ता** (भौतिक आधिपत्य) फ्लैट नं. टी-1, तृतीय तल, शैलेश होम्स, प्लॉट नं. 46,ए-सेक्टर, सर्वधर्म कालोनी, कोलार रोड, भोपाल म.प्र.। क्षेत्रफल-618 वर्ग फिट। सीमाएं-पूर्व: फ्लैट नं. टी-2 एवं टी-3, पश्चिम: प्लॉट नं. 47, उत्तर: रोड, दक्षिण: अन्य भूमि। संपत्ति मालिक: श्री अनुप गुप्ता एवं श्रीमति प्रज्ञा गुप्ता | (₹) 16,30,000/- (₹) 1,63,000/- | 07-05-2018 30-11-2019 ₹1322386.25 + दिनांक 01.05.2018 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| **श्रीमती साधना जैन पत्नि श्री प्रदीप जैन** (सांकेतिक आधिपत्य) संपत्ति का समस्त भूभाग फ्लैटनं. एफआर-02, चतुर्थ तल, प्लाटनं. 9, अब्दुल मुजीब कॉम्पलेक्स वार्ड नं. 9, मोहल्ला -कबीट्पुरा, वार्ड नं. 11, शाहजहानाबाद, भोपाल। क्षेत्रफल : 700 वर्ग फिट। सीमाऐं : पूर्व- खुला भाग, पश्चिम-कोरिडोर, उत्तर-आम एफआर-1, दक्षिण- खुला भाग, संपत्ति मालिक : श्रीमती साधना जैन पत्नि श्री प्रदीप जैन | (₹) 6,81,000/- (₹) 68,100/- | 11-10-2017 04-01-2018 ₹1930037.00 + दिनांक 01.10.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे |

**नियम एवं शर्ते :-** 1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है'' के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण प्रतिभूत लेनदार को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्रतिभूत लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाईन ई-निलामी सेवा प्रदाता के द्वारा **दिनांक 24/09/2026 को वेबसाइट https://baanknet.com** पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता PSB Alliance के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तो के लिए https://baanknet.com और www.pnb.bank.in पर देखें। बकाया, किराया आदि सहित अन्य शुल्क, यदि कोई हो, नियमानुसार क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

दिनांक: 08/09/2026, स्थान: भोपाल प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक



## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

**कार्पोरेट कार्यालय :** ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
**मंडीदीप शाखा:** ऑफिस नं. 1, प्लॉट नं. 200, प्रथम मंजिल, ज्योति सिनेप्लेक्स, एम.पी. नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462001, (म.प्र.)
**अशोक नगर शाखा:** म.नं. 02/1019, वार्ड नं. 02, सलूजा टावर, प्रथम मंजिल, सोनी कॉलोनी, गुना रोड, अशोक नगर-473331, (म.प्र.)
**भोपाल शाखा:** ऑफिस नं. 1, प्लॉट नं. 200, प्रथम मंजिल, ज्योति सिनेप्लेक्स, एम.पी. नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462001, (म.प्र.)
**गुना शाखा:** पटवारी हल्का नं. 75, भवन प्रथम मंजिल, हीरो शोरूम के सामने, आईसीआईसीआई बैंक के पास, महावीरपुरा, ए.बी. रोड, गुना-473001, (म.प्र.)
**सागर शाखा:** प्रथम मंजिल, सखी बाबा मैट्रिक्स, मकरोनिया रोड, सागर-470004, (म.प्र.)
**पिपरिया शाखा:** मकान नं. 94, प्रथम मंजिल, रघुवंशी जी कॉम्प्लेक्स, एम.पी. ग्रामीण बैंक के ऊपर, पचमढ़ी रोड, पिपरिया

### मांग सूचना

**सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा13(2) के अंतर्गत सूचना**

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेरेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

| क्रं. | उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम | मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि | प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां) |
|---|---|---|---|
| 1 | (लोन कोड नं. 07000000324 / मंडीदीप शाखा) शाहिद खान (ऋणी) परवीन खान (सह-ऋणी) | 06-08-2026 & ₹ 6,73,983/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, फ्लैट नं. 13, प्रथम मंजिल, शीतल सिटी, पटवारी हल्का नं. 3, खसरा नं. 454/2, 454/1/2/1/2, 454/1/2/2, पिपलिया गज्जू रोड, वार्ड नं. 23, मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः फ्लैट नं. 12, पश्चिमः फ्लैट नं. 14, उत्तरः गज्जू पिपलिया रोड, दक्षिणः कॉलोनी रोड शीतल सिटी |
| 2 | (लोन कोड नं. 14500000323 / अशोक नगर शाखा) छोटेलाल अहिरवार (ऋणी) अटल बाई अहिरवार (सह-ऋणी) | 06-08-2026 & ₹ 2,51,033/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं. 891/1, पटवारी हल्का नं. 01, ग्राम पिपराई, तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः रास्ता, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, उत्तरः दिवू एवं सुनील जैन का प्लॉट, दक्षिणः गली |
| 3 | (लोन कोड नं. 00600001565 / भोपाल शाखा) शिव सागर यादव (ऋणी) दुर्गेश यादव (सह-ऋणी) विवेक यादव (जमानतदार) | 06-08-2026 & ₹ 8,13,416/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, मकान नं. 185, खसरा नं. 7/1, 7/4, पटवारी हल्का नं. 02, दी रिट्रिट कॉलोनी, ग्राम झिरनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः प्लॉट नं. 184, दक्षिणः रास्ता |
| 4 | (लोन कोड नं. 05800000268 / गुना शाखा) केशव शर्मा (ऋणी) शांति शर्मा (सह-ऋणी) | 06-08-2026 & ₹ 7,35,138/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, प.ह. नं. 65, सर्वे नं. 761/मिन-1, पुराना वार्ड नं. 34, नया वार्ड नं. 31, गुलाबगंज, तहसील गुना, जिला गुना, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः विक्रेता की बाउंड्री वॉल एवं खुली भूमि, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः माया देवी का मकान, दक्षिणः रामकिशन शर्मा की बाउंड्री वॉल |
| 5 | (लोन कोड नं. 02310000003 / सागर शाखा) भूपेंद्र चौबे (ऋणी) रचना चौबे (सह-ऋणी) | 06-08-2026 & ₹ 5,19,008/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, खसरा नं. 315/1, 315/2, 315/4, 315/5, मौजा बड.ौना, पटवारी हल्का नं. 51, तहसील सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः देवेंद्र दुबे का प्लॉट, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य का प्लॉट |
| 6 | (लोन कोड नं. 00610000629 एवं 00610000622 / भोपाल शाखा) विशन सिंह (ऋणी) मिथिला बाई (सह-ऋणी) | 10-08-2026 & ₹ 9,10,649/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, आवासीय प्लॉट नं. 118, खसरा नं. 244/1/1/1/1/1,237/1/1/1, 236/1/1/1/1,245/1, 235/3/1/1/1/1, का भाग, पटवारी हल्का नं. 18, अशोक विहार, सरस्वती नगर, वार्ड नं. 19, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, म.प्र. **चर्तु:सीमा:** पूर्वः प्लॉट नं. 142, पश्चिमः 25 फीट कॉलोनी रोड, उत्तरः 30 फीट कॉलोनी रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 119 |
| 7 | (लोन कोड नं. 00610000106 / भोपाल शाखा) विजय मालवीय (ऋणी) आराधना लोधी (सह-ऋणी) | 10-08-2026 & ₹ 4,13,460/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, पटवारी हल्का नं. 21/47, खसरा नं. 382/4/1, तालाब मोहल्ला, वार्ड नं. 09, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः गोलू रैकवार का प्लॉट, पश्चिमः अज़हर कुरैशी का प्लॉट, उत्तरः संजू नामदेव का प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट कॉलोनी रास्ता |
| 8 | (लोन कोड नं. 02310000223 / सागर शाखा) रवि यादव (ऋणी) सरोज रानी (सह-ऋणी) | 10-08-2026 & ₹ 5,15,074/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, खसरा नं. 442/7, पटवारी हल्का नं. 92, वार्ड नं. 08, बांदा, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः सालग राम की भूमि, पश्चिमः विक्रेता द्वारा छोड़ी गई भूमि, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः प्रभु सिंह का मकान |
| 9 | (लोन कोड नं. 02310000511 / सागर शाखा) स्व. चैन सिंह (कानूनी वारिसों के माध्यम से प्रस्तुत) (ऋणी) मनोज रैकवार (सह-ऋणी) | 10-08-2026 & ₹ 4,49,261/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, खसरा नं. 16/2, पटवारी हल्का नं. 79, मौजा बामनखेड़ी, वार्ड नं. 22, तहसील सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः रास्ता |
| 10 | (लोन कोड नं. 77710000012 / पिपरिया शाखा) दुर्गेश प्रसाद कसेरा (ऋणी) किरण पत्नी दुर्गेश प्रसाद कसेरा (सह-ऋणी) | 10-08-2026 & ₹ 5,74,916/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, पटवारी हल्का नं. 06, बाड़ी खुर्द, वार्ड नं. 07, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः राजेंद्र चौहान का मकान, पश्चिमः रामकिशन चौहान एवं राजेंद्र चौहान का मकान, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः राजेंद्र चौहान का मकान |
| 11 | (लोन कोड नं. 00600000819 / भोपाल शाखा) अरविंद पाटीदार (ऋणी) लालचंद पाटीदार (सह-ऋणी) अशोक दुबे (जमानतदार) | 11-08-2026 & ₹ 3,53,279/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, टी.एफ.-06, ब्लॉक-ए, हिमांशु मेगा सिटी, सर्वे नं. 546/2/1/1, वार्ड नं. 17, मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः टी.एफ.-05, पश्चिमः टी.एफ.-07, उत्तरः टी.एफ.-28, दक्षिणः कॉलोनी रोड |

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

**स्थान : मध्य प्रदेश,**
**दिनांक : 09.09.2026**

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड